

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- F4(ई)निप/अलेसे-III लिंक न. 12222 / 1136

दिनांक :- 29-11-2017

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री राजेश कंवर [लिंक न. 12222] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, नागौर - [1120] जिनकी जन्म तिथि 15/11/1991 है, ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 04/07/2017 द्वारा अपना नाम राजेश कंवर से परिवर्तित कर राजश्री सिंह किये जाने का अनुरोध किया है। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 8 के निर्णय 5 के अनुसार राजस्थान राजपत्र (गजट) के साधारण अंक संख्या 52 भाग संख्या 7 दिनांक 26/03/2015 में प्रकाशित बंध पत्र एवं समाचार पत्र दैनिक भास्कर, नागौर के दिनांक 16/10/2017 के अंक में प्रकाशित सूचना के आधार पर इनका परिवर्तित नाम राजश्री सिंह विभागीय रिकार्ड में दर्ज करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- F4(ई)निप/अलेसे-III लिंक न. 12222 / 1136

दिनांक :- 29-11-2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, नागौर
2. कोषाधिकारी नागौर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री राजश्री सिंह [12222] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, नागौर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट

(प्रदीप माथुर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)